



प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,

उत्तर प्रदेश।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 21 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-81 (टी.एस.पी.) के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-102-07/खा.गा.बो./मु.मंगा.रो.यो./पत्रा. सं.-17-290/2026-27, दिनांक 08.04.2026 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (ट्राइबल सब प्लान) के अन्तर्गत नई/स्थापित ईकाईयों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रु0 0.50 लाख (रूपये पचास हजार मात्र) में से प्रथम किश्त की धनराशि रु0 0.25 लाख (रूपये पच्चीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) ब्याज सब्सिडी की धनराशि बैंकों को अन्तरित करने के पूर्व जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इस सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लें कि ब्याज सब्सिडी की धनराशि सिर्फ और सिर्फ उन्ही उद्यमियों को स्वीकृत ऋण के सापेक्ष देय होगी जो योजना की पात्रता की शर्तें पूरी तरह से पूर्ण करते हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी अपात्र उद्यमी को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) जनपद स्तर पर योजना की समीक्षा/अनुश्रवण पूर्व में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (डी.एल.टी.एफ.सी.) द्वारा ही किया जायेगा तथा प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्रत्येक त्रैमास में 30 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- (7) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना की गाईडलाइन्स के सर्कुलर संख्या- PMSGP/policy/2020-21, दिनांक 04.05.2020 एवं 06.05.2020 के अनुसार ही जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (डी.एल.टी.एफ.सी.) द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को समाप्त करके ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्क्रूटनी करते हुए स्कोर कार्ड में पूर्णांक 100 में से 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के पोर्टल के माध्यम से जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा ही बैंकों को अग्रसारित करना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आहरण/वितरण अधिकारी होंगे। वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29-05-2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके सीधे लाभार्थी के खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।
- (9) 30 प्र0 के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार नवयुवकों परम्परागत कारीगरों एवं शिल्पियों को अधिकतम ₹0 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की व्यक्तिगत/साझेदारी इकाईयों को राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों से वित्त पोषित कराया जायेगा। आई0टी0आई0, पालीटेक्निक संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।
- (10) वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सभी लाभार्थियों को टर्म लोन (पूँजीगत ऋण) पर ही 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष घटाते हुए 5 वर्ष तक ही ब्याज उपादान का भुगतान किया जाय।
- (11) आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष व महिलाओं) को योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।
- (12) कुल स्वीकृत धनराशि का 1-1-1 प्रतिशत क्रमशः- जागरूकता शिविर, प्रचार-प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिये प्रावधानित होगा जिसका उपयोग सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार किया जायेगा।
- (13) राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के उपरान्त इकाईयों के सफलतापूर्वक कार्य करने एवं उसके सदुपयोग करने के उपरान्त ही ब्याज की धनराशि अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान सीधे उद्यमियों के बैंक खाते में सम्बन्धित बैंक की मांग के अनुसार किया जायेगा।
- (14) सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा कार्य बन्द करते हुए धन का दुरुपयोग करते पाये जाने पर ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान रोक दिया जायेगा। तथा जो धनराशि भुगतान की जा चुकी है, उसकी वसूली बैंक द्वारा तत्काल उद्यमियों से नियमानुसार कर ली जायेगी।
- (15) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण स्वीकृति विवरण/सूचनार्थ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (16) समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1425/क0नि0प्र0/26-3-2013-13(21)/2013, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17) योजना का प्रचार-प्रसार प्रादेशिक समाचारों के साथ रेडियो/दूरदर्शन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्राक-102-07/खा.ग्रा.बो./मु.मंगा.रो.यो./पत्रा. सं.-17-290/2026-27, दिनांक 08.04.2026 में संलग्न की गयी कार्ययोजना के अनुसार ही उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-081 लेखा शीर्षक 2851007960401 बेराजगार नवयुवकों/परम्परागत कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुदान (जिला योजना) मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)** के नामों डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-26/2026/193(1)/59-2-2026/001-1810104 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 3- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 5- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।